

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 167
TO BE ANSWERED ON 22.12.2022

PRESERVATION OF ARCHIVAL RECORDS

*167. DR. C.M. RAMESH:

Will the Minister of CULTURE be pleased to state:

- (a) the details of steps taken by Government to preserve archival records and switching over to digitisation; and
- (b) whether adequate and qualified manpower is available for the said purpose for the benefit of research scholars, historians and intellectuals, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF CULTURE, TOURISM AND DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN
REGION
(SHRI G. KISHAN REDDY)

(a) to (b) A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (A) TO (B) OF RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 167 FOR 22ND DECEMBER, 2022**

(a) National Archives of India (NAI), an attached office under the Ministry of Culture has been engaged in the preservation of archival documents using the time tested processes involved in the conservation of documentary heritage. Preservation of records in National Archives of India is an ongoing programme with adequate man power and facilities. National Archives of India is continuously undertaking the repair and rehabilitation of the archival records under its custody. Digitization of records in National Archives of India is also a continuous process and has been organised in phased manner. In the first phase, a project for digitization of records has been initiated by National Archives of India in January 2021 through an outsourcing agency for a period of three years for uploading the same on portal at <https://www.abhilekh-patal.in> for their accessibility to Scholars, Historians, Academicians and other users of archives in the country and across the world.

(b) The National Archives of India has a dedicated team of officers including hired IT professionals.

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *167
उत्तर देने की तारीख 22.12.2022

पुरालेखीय अभिलेखों का संरक्षण

*167. डा. सी. एम. रमेश :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा पुरालेखीय अभिलेखों को संरक्षित करने और उनके डिजिटलीकरण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या शोधार्थियों, इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों के लाभार्थ उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त और योग्य जनशक्ति उपलब्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'पुरालेखीय अभिलेखों का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या '167 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

- (क): संस्कृति मंत्रालय के अधीन संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) प्रलेखित धरोहर के संरक्षण में निहित समय की कसौटी पर परखी गई प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए अभिलेखीय दस्तावेजों के परिरक्षण में कार्यरत है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखों का परिरक्षण सतत् प्रक्रिया है जिसे पर्याप्त जनशक्ति और सुविधाओं के साथ किया जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार अपनी अभिरक्षा में मौजूद पुरालेखीय अभिलेखों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य लगातार कर रहा है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेखों का डिजिटलीकरण भी एक सतत् प्रक्रिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। पहले चरण में, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा जनवरी, 2021 में 3 वर्ष की अवधि के लिए एक बाह्य स्रोत एजेंसी के माध्यम से अभिलेखों के डिजिटलीकरण और देश में तथा पूरे विश्व के शोधार्थियों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और अभिलेखगार के अन्य उपयोगकर्ताओं तक उनकी सुगम पहुंच के लिए <https://www.abhilekh-patal.in> पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एक परियोजना आरंभ की गई है।
- (ख): राष्ट्रीय अभिलेखागार में नियोजित आईटी व्यावसायिकों सहित अधिकारियों की समर्पित टीम मौजूद है।

DR. C.M. RAMESH: Sir, I would like to know whether the Government proposes to constitute a committee of experts to streamline the archives/records in the country on specific lines which are voluminous in nature and switching over from physical format to digital format to save valuable storage space.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : चेयरमैन सर, सरकार ने जनवरी, 2021 से एक 'अभिलेख पटल' नामक पोर्टल तैयार किया है, जिसका मॉटेनैस केजीएस माइक्रो सिस्टम्स, मुम्बई के द्वारा किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से चार काम हो रहे हैं - प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, रिपेयर एंड रीहैबिलिटेशन और डिजिटाइजेशन। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह काम इस 'अभिलेख पटल' पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

DR. C.M. RAMESH: Sir, since the world has been witnessing rise of technology and digital data, I would like to know whether adequate staff is available to expedite the process of the benefit to researchers, scholars and historians.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : चेयरमैन सर, जैसा मैंने बताया कि जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये हमारे विद्वान लोग हैं, जो इस काम को देखते हैं। उनके लिए मैंने 'अभिलेख पटल' का विषय रखा। जैसा माननीय सदस्य ने स्टाफ के बारे में पूछा, तो हमारे पास अभी एडिक्वेट स्टाफ है, फिर भी हम पीपीपी मोड पर भी इस काम को कर रहे हैं। हम इस काम को प्राइवेट लोगों से भी करा रहे हैं और गवर्नमेंट स्वयं भी कर रही है।

श्री सभापति : श्री जयंत चौधरी।

श्री जयंत चौधरी : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े दस्तावेजों के सम्बन्ध में प्रश्न रखना चाहता हूँ। जैसा कि मंत्री जी को विदित होगा कि चौधरी साहब के निधन के बाद, हजारों की संख्या में उनके द्वारा लिखित पत्र एवं लेख थे, जिन्हें उनके परिवार ने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को सौंप दिया था। आपकी जो डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, वह दसियों साल पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन दुख की बात है कि कल जहां हम सब लोग मिल कर चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और किसान दिवस मनाएंगे, वहीं पिछले आठ वर्षों से उनके दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की योजना ठप पड़ी है। सभापति जी, चौधरी साहब के दस्तावेज राष्ट्र की धरोहर हैं, राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि वे सदन को आश्वस्त करें कि उन्हें जितने भी संसाधन जुटाने पड़ें, वे उन दस्तावेजों को समय-सीमा के अंदर, प्रॉपर्टी डिजिटाइज करेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : चेयरमैन सर, प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें हिस्ट्री से सम्बन्धित हमारे रिकॉर्ड्स अथवा दस्तावेजों का रख रखाव सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। हमने इनके डिजिटाइजेशन का स्केल भी बढ़ाया है और स्पीड भी बढ़ाई है।

सर, माननीय सदस्य ने चौधरी चरण सिंह जी के बारे में प्रश्न किया है, तो प्रधान मंत्री संग्रहालय में हमने चौधरी चरण सिंह जी से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज एवं अभिलेख रिकॉर्ड में लिए हैं और रखे भी हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि वहां उनसे सम्बन्धित कुछ और दस्तावेज रखे जाने हैं, तो हम उनको भी निश्चित रूप से वहां रखेंगे।

SHRIMATI SULATA DEO: Sir, I thank you for giving me the opportunity. सर, मैं ओडिशा से बिलॉग करती हूँ और मेरा प्रश्न ओडिशा राज्य संग्रहालय को लेकर है। ओडिशा राज्य संग्रहालय में 20,000 बंडल्स ऑफ पाम लीफ मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जिनमें 500 चित्र मैनुस्क्रिप्ट्स भी शामिल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका डिजिटाइजेशन करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी, मगर अब वह प्रक्रिया बन्द हो गई है, जिसे बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने कम्प्लीट किया था। डिजिटाइजेशन होने के बाद इनकी जो डीवीडीज़ बनी हैं, ऐसी बहुत सारी डीवीडीज़ हैं, जो अब काम भी नहीं कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या उनका रीडिजिटाइजेशन करवाने की आपकी कोई योजना है?

सर, मैं इसमें एक और प्रश्न भी ऐड कर रही हूँ। हमारे यहां 25,000 एन्शियंट कॉइन्स भी हैं, and they need to be documented. क्या इसका भी कुछ प्रावधान है?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : चेयरमैन सर, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, वह मूलतः नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से सम्बन्धित है। वैसे नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट्स एक अलग संस्थान है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस भोपाल में है। इसके तीन रिकॉर्ड सेंटर्स भी हैं, जिनमें से एक सेंटर भुवनेश्वर में भी है। माननीय सदस्या ने जो चिन्ता प्रकट की है, हम भुवनेश्वर से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करके इनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।

SHRI S. SELVAGANABATHY: Sir, my question to the hon. Minister is: Are digital log books being maintained by this Department or not which may contain pixel and photographic or video record of the State, the physical preservation of the monuments, so that no record would be untraceable in future?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : चेयरमैन सर, जैसा मैंने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार चल रही है, उसमें हमने डिजिटाइजेशन का काम बहुत बड़े स्केल पर लिया है। हमने इस काम के स्केल को भी बढ़ाया है और स्पीड को भी बढ़ाया है। जहां 2012-13 में 5,00,000 पेजेज़ का ही डिजिटाइजेशन हो पाता था, वहीं 2015-16 में हमने डिजिटाइजेशन की मात्रा को 19,80,000 तक बढ़ा दिया था। हमें टोटल 4.5 करोड़ पेजेज़ को डिजिटाइज़ करना है, जिनमें से अक्टूबर, 2022 तक हम 2 करोड़, 7 लाख पेजेज़ को डिजिटाइज़ कर चुके हैं।

माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, वह भी इसी में सम्मिलित है। हम तेज़ी से डिजिटाइज़ेशन का काम कर रहे हैं, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 168.